

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- १०/०७/२०२६

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू० २,६८,००,०००/- (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-१०१७(१), दिनांक-२८.०८.२०१७, संकल्प संख्या-८७७(१), दिनांक-२७.०९.२०२२ एवं संकल्प संख्या-९१९(१), दिनांक-०८.०९.२०२५ के आलोक में वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू० २,६८,००,०००/- (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(२) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-२० के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-२२१०-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-०१-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-११०-अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष-०००२-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-२०-२२१०-०१-११०-०००२ अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (३४-०१) मद में उपबधित राशि से विकलनीय होगा ।

(३) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा होंगे ।

(४) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(५) राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जायेगी ।

(६) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१/वि(२), दिनांक-१७.०४.१९९८ के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(७) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-४२४ पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(८) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-७/MCH-३५-०२/२०२६-२७ के पृष्ठ-०९/टि० पर प्राप्त है ।

(९) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(१०) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(११) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)

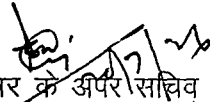
सरकार के अपर सचिव
AUP

ज्ञापांक:- 7/MCH-35-02/2026-27- २१२(४८) /स्वा0, पटना, दिनांक:- २०/०४/२०२६

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
A-4